

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरक्षित वेतनमान नियम 2017 के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफपी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आशवासित केरियर प्रगति (एसीपी-1/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र० स०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि		प्रथम/द्विती य व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/ पे-लेवल
1	कमला बारवाल, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, स. माधोपुर	से०नि० सीबीईओ	01-01-1960	17-02-1997	20	16-02-2017	17-02-2017	L-17
2	कृष्णलाल विश्नोई, राउमावि मुकलावा रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर	से०नि० प्रधानाचार्य	01-01-1955	13-10-1983	30	12-10-2013	13-10-2013	6800/-

नोट :-

- 1 एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।

सत्यमेव जयते

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-3/एसीपी/2021

दिनांक : 19.01.2022

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय-माध्यमिक शिक्षा।
- 2 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सवाईमाधोपुर/श्रीगंगानगर।
- 3 संबंधित संस्था प्रधान प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक।
- 4 संबंधित अधिकारी।

- 5 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर